



सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस-विज्ञाप्ति

संख्या— 677

30 / 06 / 2020

01 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक कोविड-19 संक्रमण को रोकने हेतु शर्तों के साथ लॉकडाउन/अनलॉक-2 का आदेश जारी

पटना, 30 जून 2020 :— कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक—29.06.2020 को जारी आदेश के आलोक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री आमिर सुबहानी ने राज्य सरकार के सभी विभागों, पुलिस सहित स्थानीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को 01 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन/अनलॉक-2 के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक— 29.06.2020 को निर्गत आदेश में राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है कि राज्य सरकारें स्थिति का आंकलन कर कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर सकती हैं अथवा अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकती हैं, जैसा कि आवश्यक हो। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में कोविड-19 से संक्रमण के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक—29.06.2020 को जारी आदेश सभी प्रावधानों के साथ सम्पूर्ण बिहार में 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेंगे।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि इसके अतिरिक्त सभी शॉपिंग मॉल/दुकानों/सार्वजनिक वाहनों (बस/टैक्सी/ऑटो) में परिचालन कर्मियों/चालकों और ग्राहकों/सवारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा तथा संबंधित प्रतिष्ठान/वाहन के मालिकों एवं कर्मियों/चालकों के लिये आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क वालों का प्रवेश वर्जित रखें। उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रशासन/पुलिस के द्वारा जॉच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाय तो संबंधित जिला पदाधिकारी आदेश पारित कर आदेश के उल्लंघन के लिये दोषी शॉपिंग मॉल/दुकान/व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा वाहन (बस/टैक्सी/ऑटो) सहित का परिचालन बंद करने हेतु अधिकृत होंगे।